निर्णय लेने की प्रक्रिया विभिन्न अधिकारियों द्वारा किसी विषय में निर्णय लेने के लिये अधिकारी को प्राप्त भौतिक, प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियों के अनुसार कार्यवाही की जाती है। नीति निर्माण सम्बन्धी निर्णय के लिये निदेशक मण्डल द्वारा 'द इलैक्ट्रिसिटी एक्ट" के अनुसार कम्पनी अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाती है।

विभिन्न कार्यों के कार्यान्वयन के लिये निर्णय लेने हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के लिये स्टोर मैनुअल, परचेज मैनुअल, कृषि कनैक्शन नीति, रैवेन्यू मैनुअल, टैरिफ फॉर सप्लाई ऑफ़इलैक्ट्रिसिटी, टम्र्स एण्ड कण्डीशन्स ऑफ़सप्लाई, नागरिक अधिकार पत्र, डेलिगेशन ऑफ़पावर्स, स्टैण्डर्ड ऑफ़परफोरमेंस, वक्र्स मैनुअल एण्ड जनरल कण्डीशन्स ऑफ़कान्ट्रेक्ट फॉर वक्र्स, सर्विस ऑफ़इंजीनियर्स रेग्यूलेशन्स (रिक्रूटमेंट, प्रोमोशन एण्ड सीनियोरिटी) 1969, ऑफिसर्स (रिक्रूटमेंट, प्रोमोशन एण्ड सीनियोरिटी) रेग्यूलेशन्स 1974, एम्प्लाइज सर्विस रेग्यूलेशन्स, मिनिस्ट्रीयल स्टाफ सर्विस रेग्यूलेशन्स 1962, सी.सी.ए. रूल्स, राजस्थान राज्य सेवा विनियम, राजस्थान सामान्य वित्त एवं लेखा नियम, मेडिकल रूल्स, यात्रा भत्ता नियम आदि पुस्तकों में दी गयी प्रक्रिया को अपनाया जाता है।

**विधुत कनैक्शन जारी करने के सम्बन्ध में निर्णय लेने की प्रक्रिया-**

किसी भी विधुत कनैक्शन चाहने वाले व्यक्ति को सहायक अभियंता से सम्पर्क करना होता है। सहायक अभियंता कनिष्ठ अभियंता की सहायता से तकनीकी साध्यता की जांच करता है तथा तकनीकी साध्यता पाये जाने पर सहायक अभियंता राजस्व/लेखा कार्मिकों की सहायता से डिमाण्ड नोटिस की राशि का निर्धारण करता है। डिमांड नोटिस की राशि जमा हो जाने पर सहायक अभियंता द्वारा विधुत कनैक्शन जारी कर दिया जाता है। कनिष्ठ अभियंता विधुत कर्मियों के साथ जाकर विधुत कनैक्शन स्थापित कर देता है।

**विधुत मीटर की शिकायत के सम्बन्ध में निर्णय लेने की प्रक्रिया-**

विधुत उपभोक्त अपने मीटर के पाठ्यांक से संतुष्ट नहीं होने पर सहायक अभियंता के कार्यालय में आवेदन करता है। सहायक अभियंता कनिष्ठ अभियंता को भेजकर मीटर की जांच करवाता है। कनिष्ठ अभियंता विधुत कर्मियों की सहायता से मीटर को खुलवाकर लैबोरेट्री में जांच के लिये भेज देता है। तथा लैबोरेट्री की रिपोर्ट के आधार पर मीटर ठीक करके लगाने अथवा मीटर बदलने की कार्यवाही की जाती है |

**विधुत राशि की किश्तें बंधवाने के सम्बन्ध में निर्णय लेने की प्रक्रिया-**

यदि किसी उपभोक्ता से कोई बड़ी बकाया राशि निकाली जाती है तो वह सहायक अभियंता कार्यालय में सम्पर्क करके विधुत राशि को किश्तों में जमा करवाने की सुविधा प्राप्त कर सकता है।

**विधुत कनैक्शन विच्छेद करने के सम्बन्ध में निर्णय लेने की प्रक्रिया-**

विधुत कनैक्शन विच्छेद करवाने के लिये विधुत उपभोक्ता को सहायक अभियंता कार्यालय में सम्पर्क करना होता है। विधुत उपभोक्ता की समस्त विधुत राशि जमा होने के पश्चात् विधुत कनैक्शन विच्छेद कर दिया जाता है तथा उसे प्रतिभूति राशि लौटा दी जाती है। यदि विधुत उपभोक्ता दूसरी बार बिजली चोरी करते हुए पकड़ा जाता है तो उसका विधुत कनक्शन विच्छेद कर दिया जाता है।

**सामग्री क्रय करने के सम्बन्ध में निर्णय लेने की प्रक्रिया-**

जोधपुर डिस्कॉम के विभिन्न कार्यालयों द्वारा विधुत लाइनों, ट्रांसफार्मर्स तथा अन्य उपकरणों की स्थापना करने, विधुत कनैक्शन जारी करने आदि के लिये पदार्थ प्रबंध शाखा द्वारा आवश्यक सामग्री का क्रय किया जाता है। क्रय प्रक्रिया के लिये परचेज मैनुअल में दी गयी प्रक्रिया अपनाई जाती है। समस्त अधीक्षण अभियंता अपने वृत्त में होने वाले कार्यों के लिये निगम स्तर पर गठित पदार्थ प्रबंध शाखा को अपने प्रस्ताव बनाकर भेजते हैं। पदार्थ प्रबंध शाखा क्रय प्रस्तावों को प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता वाली क्रय समिति के समक्ष प्रस्तुत करती है। इस समिति द्वारा क्रय प्रस्तावों को आवश्यकतानुसार एवं बजट प्रावधानों के अनुसार स्वीकृत किया जाता है। क्रय प्रस्तावों की स्वीकृति के पश्चात् समाचार पत्रों में निविदा सूचना प्रकाशित करवाई जाती है। तथा परचेज मैनुअल के अनुसार टेण्डर प्रक्रिया पूरी की जाती है।

**स्टोर से सामग्री जारी करने के सम्बन्ध में निर्णय लेने की प्रक्रिया-**

विभिन्न कार्यालयों द्वारा स्टोर से सामग्री जारी करने के लिये मांगपत्र प्रस्तुत करना होता है। सहायक भण्डार नियंत्रक द्वारा उपलब्ध सामग्री उपलब्ध करवाई जाती है तथा जारी की गयी सामग्री को भण्डार गृह से निष्कासन के लिये गेटपास जारी किया जाता है।

**निविदा सूचनाएं प्रकाशित किये जाने के सम्बन्ध में निर्णय लेने की प्रक्रिया-**

प्रबंध निदेशक, संभागीय मुख्य अभियंता, उपमुख्य अभियंता (पदार्थ प्रबंध) तथा विभिन्न अधीक्षण अभियंताओं द्वारा विभिन्न कार्यों के लिये वक्रस मैनुअल में दी गयी प्रक्रिया के अनुसार समाचार पत्रों में निविदा सूचनाएं प्रकाशित करवाई जाती हैं।

**विधुत चोरी पकड़ने के सम्बन्ध में निर्णय लेने की प्रक्रिया-**

विधुत चोरी एवं दुरुपयोग पकड़ने के लिये सतर्कता शाखा एवं प.व.स. शाखा द्वारा कार्यवाही की जाती है। इसके लिये आकस्मिक जांच की प्रक्रिया अपनायी जाती है। तथा विधुत चोरी के सम्बन्ध में गोपनीय सूचनायें मिलने पर प्रबंध निदेशक, मुख्य अभियंता तथा अधीक्षण अभियंताओं द्वारा प.व.स. तथा सतर्कता शाखा के अधिकारियों को मौके पर भेजकर विधुत चोरी की जांच करवाई जाती है।

**ग्रामीण विद्युतिकरण हेतु योजनाएं बनाने के सम्बन्ध में निर्णय लेने की प्रक्रिया-**

भारत सरकार द्वारा घोषित नीति के अनुसार अब ग्रामीण विद्युतिकरण का कार्य जिला

कलक्टर की अध्यक्षता वाली जिला विधुत समिति से ही अनुमोदित किये जायेंगे। जोधपुर डिस्कॉम भी राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतिकरण योजना के प्रस्तावों को जिला विधुत समिति के द्वारा अनुमोदित करवाता है। इस योजना के तहत फ्रैंचाइज की नियुक्ति की जानी आवश्यक है।

**कार्मिकों के स्थानांतरण के सम्बन्ध में निर्णय लेने की प्रक्रिया-**

जोधपुर डिस्कॉम में कार्यरत अधिकारियों एवं कार्मिकों के लिये निदेशक मण्डल द्वारा स्थानांतरण नीति स्वीकृत की गयी है। इस नीति के तहत कनिष्ठ अभियंता एवं उससे ऊपर के पदों के स्थानांतरण निगम स्तर पर पदस्थापित सचिव (प्रशासन) प्रबंध निदेशक की स्वीकृति से करता है। संभाग स्तर पर संभागीय मुख्य अभियंता तथा वृत्त स्तर पर वृत्त अधीक्षण अभियंताओं को अपने क्षेत्र में कनिष्ठ अभियंता से नीचे के स्तर के कर्मचारियों के स्थानांतरण के अधिकार दिये गये हैं। इस नीति में प्रावधान किया गया है कि जहाँ तक संभव हो स्थानांतरण मई-जून माह में ही किये जायेंगे। किसी भी कर्मचारी अथवा अधिकारी को समुचित प्रशासनिक कारणों के बिना 2 वर्ष से पहले स्थानांतरित नहीं किया जायेगा तथा किसी भी अधिकारी अथवा कर्मचारी को पाँच वर्ष से अधिक एक स्थान पर न रखा जायेगा। यदि पति पत्नी दोनों सेवा में हों तो उन्हें साथ ही पोस्टिंग देने का प्रयास किया जायेगा। अवधि पूर्व स्थानांतरण के मामलों में शिकायतों के सही पाये जाने पर, बीमारी की हालत में अथवा अन्य समुचित कारणों के आधार पर ही निर्णय लिया जायेंगे।

**पदोन्नति/चयनित वेतमान स्वीकृति के सम्बन्ध में निर्णय लेने की प्रक्रिया** -

समस्त अधिकारी एवं मंत्रालयिक पदों का पदोन्नति सम्बन्धी कार्य निगम स्तर पर सचिव (प्रशासन) द्वारा निदेशक मंडल द्वारा पारित आदेशानुसार गठित विभागीय पदोन्नति समिमि के माध्यम से समय-समय पर रिक्त पदों को पदोन्नति द्वारा भरा जाता है।

तकनीकी वर्ग में वेतन शृंखला 1 से 6 के पदोन्नति कार्य संभाग एवं वृत्त स्तर पर गठित विभागीय पदोन्नति समितियों द्वारा किया जाता है

**नई भरती करने के सम्बन्ध में निर्णय लेने की प्रक्रिया**

- नई भरती राज्य सरकार से स्वीकृति के पश्चात् सचिव (प्रशासन) कार्यालय द्वारा सरकार द्वारा प्रदान किये गये निर्देशानुसार संविदा/स्थायी रूप से की जाती है। अधिमानता के आधार पर नियुक्ति सम्बन्ध कार्य निगम स्तर पर ही सचिव (प्रशासन) कार्यालय द्वारा किया जाता है।

**स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की स्वीकृतिकरने के सम्बन्ध में निर्णय लेने की प्रक्रिया** -

तकनीकी कर्मचारियों वेतन शृंखला 1 से 6 के वर्ग की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की स्वीकृति वृत्त स्तर पर अधीक्षण अभियंता द्वारा की जाती है। मंत्रालयिक एवं अधिकारी वर्ग की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति निगम स्तर पर सचिव प्रशासन द्वारा प्रबंध निदेशक की स्वीकृति के पश्चात् की जाती है।

**अनुग्रह राशि स्वीकृति करने के सम्बन्ध में निर्णय लेने की प्रक्रिया** - निगम सेवा में कार्य करते हुए किसी अधिकारी/कर्मचारी की मृत्यु होने के पश्चात् उसके परिजनों को 10 हजार रुपये अनुग्रह राशि के रूप में कार्यालय अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत कर सम्बन्धित लेखा अधिकारी द्वारा प्रदान की जाती है।

**भृत्ति लाभ देने के सम्बन्ध में निर्णय लेने की प्रक्रिया**-

निगम सेवा में कार्य करते हुए किसी अधिकारी/कर्मचारी की मृत्यु होने के प्श्चात् उसकी पत्नि/पति द्वारा निगम में अधिमानता के आधार पर स्वयं नौकरी नहीं कर अपने अन्य किसी पुत्र/पुत्री के वयस्क होने तक मृतक की पत्नी/पति को 500 रूप्ये भृत्ति लाभ के रूप में दिये जाते हैं जिसे स्वीकृत करना का अधिकार सम्बन्धित अधीक्षण अभियंता/विभागाध्यक्ष को दिया गया है।

**मुआवजा स्वीकृति के सम्बन्ध में निर्णय लेने की प्रक्रिया-** निगम सेवा में कार्य करते हुए दुर्घटना ग्रस्त हुए कर्मचारी को क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 समय-समय पर संशोधित) नियमानुसार प्रदान किया जाता है। वर्तमान में विधुत दुर्घटना के कारण गैर कर्मचारी घातक/अघातक दुर्घटना के लिये मुआवजा राशि का प्रावधान भी किया गया है।
पशुओं को विधुत घातक दुर्घटना से ग्रस्त होने पर भी उसके मालिक को अनुग्रह राशि स्वीकृत करने का प्रावधान किया गया है।

**कार्मिकों को आरोप पत्र देने के सम्बन्ध में निर्णय लेने की प्रक्रिया-**

विभिन्न अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्य निष्पादन/आचरण में दोष/कमी पाये जाने पर सीसी. ए. रूल्स के अनुसार सक्षम अधिकारी द्वारा आरोप पत्र देने एवं जांच करवाने की कार्यवाही की जाती है।

**सेवा समाप्ति/अनिवार्य सेवा निवृत्ति के सम्बन्ध में निर्णय लेने की प्रक्रिया-**

अनिवार्य सेवानिवृत्ति के सम्बन्ध में समस्त निर्णय लेने का अधिकार निदेशक मण्डल को है। विभिन्न योजनाओं के संचालन के लिये ऋण लेने के सम्बन्ध में निर्णय लेने की प्रक्रिया- जोधपुर डिस्कॉम द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न योजनाओं के लिये ऋण लेने के सम्बन्ध में निर्णय लेने का अधिकार निदेशक मण्डल तथा अंश धारकों की सधारण सभा को है। यदि ऋण की राशि पेडअप कैपिटल से कम होती है तो निदेशक मण्डल ऋण लेने सम्बन्ध प्रस्ताव स्वीकृत करने में सक्षम है। इसके विपरीत यदि जोधपुर डिस्कॉम द्वारा किसी भी एजेंसी से लिये जाने वाले ऋण की राशि पेडअल कैपिटल से कम है तो उसके सम्बन्ध में ऋण लेने का अधिकार अंशधारकों की साधारण सभा को है।